न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
गोकलराम बनाम तहसीलदार
मुकदमा संख्या 18/23

प्रार्थी:–
1– गोकलराम पुत्र उगराराम जाति जाट
निवासी लाम्पोलाई तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

अप्रार्थीगण :–
1–तहसीलदार रियांबड़ी
2–पटवारी हलका लाम्पोलाई
3–आईदान पुत्र जवाराराम
4–सोनिया पत्नि राजाराम
5–दाखुदेवी पत्नि रूघनाथ फोत के का.मु.
5/1–कमलाराम पुत्र रूघनाथ
5/2–बीरमाराम पुत्र रूघनाथ
5/3–छोटुराम पुत्र रूघनाथ
5/4–बलदेवराम पुत्र रूघनाथ
5/5–सुरजादेवी पुत्री रूघनाथ
सभी जातियान जाट निवासीगण लाम्पोलाई तहसील रियांबड़ी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक :– 03/05/24

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निम्नलिखित पेश है।
1–यह है कि मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 816 रकबा 0.81 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी व उसके भाई मुगनाराम व बहने कमादेवी,छोटादेवी,रतनीदेवी व स्व.चुतराराम के कायम मुकाम प्रेस्तादेवी, श्यामलाल, साबूदेवी पिसरान चुतराराम व सीतादेवी पत्नि चुतराराम की खातेदारी में अंकित किया गया। जबकि उक्त खेत खसरा नंबर 816 आईदान पुत्र जवाराराम जाति जाट की खातेदारी का है।
2–यह है कि वर्तमान सेटलमेंट में खसरा नंबर 806 रकबा 0.81 हैक्टर की खातेदारी प्राथी व उसके परिवार के सदस्यों की है एंव मौके पर शुरू से ही काश्त कब्जा चला आ रहा है। परंतु वर्तमान सेटलमेंट में खसरा नंबर 806 में दाखुदेवी के नाम खातेदारी अंकित कर दी,जबकि दाखुदवी पत्नी रूघनाथ खसरा नंबर 805 की खातेदार है एंव वर्तमान में वही पर काश्त काबिज है। जिसका बेचान सोनिया पत्नि राजा को कर दिया गया है। जो वर्तमान में काश्त काबिज है। एंव खसरा नंबर 807 आईदान पुत्र जवाराराम जाट की खातेदारी का काश्त कब्जासुद है। जिस पर सोनिया पत्नी राजा की खातेदारी अंकित कर दी गई। एंव प्रार्थी व उसके परिवार की खातेदारी खसरा नंबर 806 की जगह खसरा नंबर 816 अंकित कर दी गई। इस प्रकार वर्तमान सेटलमेंट में उक्त सभी खातेदारान को अपनी सही खातेदारी की जगह से हटाकर दूसरी जगह दर्शित कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

अतःप्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा नंबर 806 दाखुदेवी पत्नी रूघनाथ की जगह प्रार्थी व उसके सहखातेदारान का नाम अंकित किया जावें एंव खसरा नंबर 805 में दाखुदेवी पत्नी रूघनाथ की खातेदारी अंकित की जावें व खसरा नंबर 807 की

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

खातेदार आईदान पुत्र जंवाराराम की जगह सोनिया पत्नि राजा को अंकित किया जावें। एव खसरा नंबर 816 में खातेदार कमादेवी,गोकलराम,छोटादेवी,मुगनाराम,रतनीदेवी, पिसरान उगराराम व प्रेस्तादेवी,साबूदेवी,श्यामलाल,पिसरान चुतराराम व सीतादेवी पत्नि चुतराराम की जगह आईदान पुत्र जंवाराराम जाति जाट की खातेदारी अंकित करते हुए राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शा में दुरूस्ती की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को जबाब बाबत तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 के कायम मुकाम ने उपस्थित होकर अपने बयान किये गये और प्रार्थना पत्र अनुसार रेकार्ड दुरूस्ती करने पर अपनी सहमति जाहिर की गई। अप्रार्थी संख्या 1 से इस संबंध में जांच रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी जांच रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश कर बताया गया कि :–

1–वर्तमान जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 805 रकबा 0.81 हैक्टर सोनिया पत्नि राजाराम जाट के नाम दर्ज है। जबकि मौके पर दाखुदेवी पत्नि रूघनाथ वगैरहा का काश्त कब्जा है।

2–खसरा नंबर 806 रकबा 0.81 हैक्टर की खातेदारी दाखुदेवी पत्नि रूघनाथ वगैरहा कोम जाट के नाम दर्ज है। जबकि मौके पर कब्जा व काश्त प्रार्थी गोकलराम व उनके परिवार के सदस्यो का है।

3–खसरा नंबर 807 रकबा 0.82 हैक्टर की खातेदारी आईदान पुत्र जवाराराम जाट के नाम दर्ज है लेकिन मौके पर कब्जा व काश्त सोनिया पत्नि राजाराम जाट का है।

4–खसरा नंबर 816 रकबा 0.81 हैक्टर की खातेदारी प्रार्थी व उसके परिवार के सदस्यो के नाम दर्ज है जबकि मौके पर कब्जा व काश्त आईदानराम पुत्र जवाराराम जाट का है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व तहसीलदार रियांबड़ी की जांच रिपोर्ट बयान पक्षकारान का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगणो के काश्त व कब्जे के अनुसार खातेदारी दर्ज नहीं है। सेटलमेंट विभाग या सहवन से अलग थलग खातेदारी दर्ज हो चूकी है। जो अप्रार्थीगणो के बयानो से साबित होता है। काश्त काबिज अपने अपने हिस्से पर है परंतु खातेदारी में नाम सही नहीं है। इसी संदर्भ में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48 आरटीएक्ट मय शपथ पत्र भी पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया।

समस्त विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार रियांबड़ी को आदेश दिया जाता है कि :–

:: आदेश ::

" मौजा लाम्पोलाई के खसरा नंबर 806 रकबा 0.81 हैक्टर की भूमि प्रार्थी गोकलराम व उसके सहखातेदार के नाम दर्ज की जावें। तथा खसरा नंबर 805 रकबा 0.81 हैक्टर की भूमि में दाखुदेवी पत्नि रूघनाथ के कायम मुकाम के नाम दर्ज की जावें। एंव खसरा नंबर 807 रकबा 0.82 हैक्टर की भूमि में आईदानराम पुत्र जवाराराम की जगह सोनिया पत्नि राजा के नाम दर्ज की जावें तथा खसरा नंबर 816 रकबा 0.81 हैक्टर की भूमि आईदानराम पुत्र जवाराराम के नाम दर्ज की जावें।"

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त किया जावें। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 07/05/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी

जिला नागौर